बिहार सरकार
कृषि विभाग

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
(नेशनल मिशन ऑन ऑयल सिड्स एण्ड ऑयल पॉम)

ई–मेल : nmoop.bihar@gmail.com वेबसाइट : www.krishi.bih.nic.in
दूरभाष नं० : 0612-2217102

पत्र संख्या – NMOOP 13/2015 2797 /कृ0 पटना, दिनांक 15-6-2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

By mail

<u>जिला पदाधिकारी (सभी)</u>
जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)

विषय :– **नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एवं ऑयलपॉम (NMOOP) मिनी मिशन-I (तेलहन) वर्ष 2015–16 अन्तर्गत योजना क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशानुसार नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एवं ऑयलपॉम (NMOOP) मिनी मिशन-I (तेलहन) वर्ष 2015–16 में NMOOP योजना का कार्यक्रम क्रियान्वित कराने हेतु जिलावार लक्ष्य तथा अनुमोदित कार्यान्वयन अनुदेश संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार NMOOP योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 का कार्यक्रम क्रियान्वयन कराया जाय।
अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(धर्मेन्द्र सिंह) 18/06
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

By mail

ज्ञापांक :– 2797 दिनांक 15-6-15

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य)/ सभी योजना नोडल पदाधिकारी/ सभी जिला नोडल पदाधिकारी/ सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2797 दिनांक 15-6-15

प्रतिलिपि :– कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/06
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2797 दिनांक 15-6-15

प्रतिलिपि :– उप कृषि निदेशक(सूचना) विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/06
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

एन०एम०ओ०ओ०पी०
मिनी मिशन–I (तेलहन)

कार्यान्वयन अनुदेश
वर्ष 2015–16

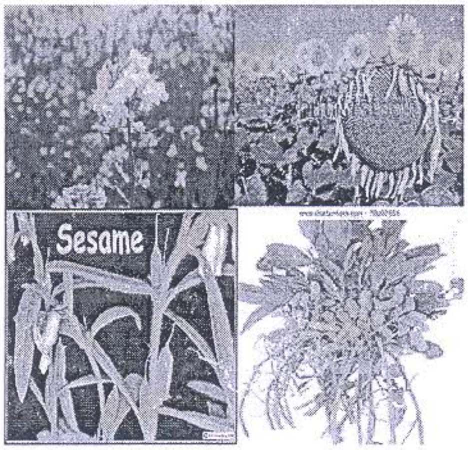

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम (NMOOP) योजना अन्तर्गत मिनी मिशन–I(तेलहन) को बिहार में वित्तीय वर्ष 2014–2015 से लागू किया गया है।

मिनी मिशन–I का मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1. तेलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में नियमित वृद्धि लाने हेतु तेलहनी फसलों में सरसों/राई, मूँगफली एवं सूर्यमुखी को सम्मिलित किया जाना।

2. भूमि की उर्वरता को बरकरार रखते हुए तेलहन के क्षेत्र में राज्य को पूर्णतः आत्म निर्भर बनाना।

3. कृषकों द्वारा परम्परागत बीज की जगह उन्नत एवं संकर प्रभेदों के बीज के उपयोग में वृद्धि लाना।

4. कृषकों को अन्य उपादान उपलब्ध कराते हुए कृषि तकनीकी हस्तानान्तरण को सफल बनाना।

5. कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।

6. कृषकों के बीच रोजगार के अवसर में वृद्धि लाना।

एन०एम०ओ०ओ०पी० योजना अन्तर्गत विभिन्न धटक एवं उपघटक पर देय अनुदान

1.(i)	प्रमाणित बीज का वितरण	तेलहन (राई/सरसों/तोरि/मूँगफली) के प्रमाणित बीज पर मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रु० प्रति क्विं० दोनो में जो न्यूनतम हो, देय होगा। 2000 रु० (केन्द्रांश 600 रु० + राज्यांश 600 रु० + राज्य योजना 800 रु०) प्रति क्विं०
(ii)	संकर बीज वितरण	तेलहन (सूर्यमुखी) के संकर बीज पर मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3300 रु० प्रति क्विं० दोनो में जो न्यूनतम हो, देय होगा। 3300 रु० (केन्द्रांश 1250 रु० + राज्यांश 1250 रु० + राज्य योजना 800 रु०) प्रति क्विं०
2.(i)	तेलहन प्रत्यक्षण राई/सरसों /तोरि सूर्यमुखी मूँगफली	 रु० 1200 /एकड़ रु० 1600 /एकड़ रु० 3000 /एकड़
(ii)	कृषक प्रशिक्षण	रु० 24000/प्रशिक्षण (प्रति प्रशिक्षण 30 किसान x दो दिवसीय)
(iii)	पदाधिकारी प्रशिक्षण	रु० 36000/प्रशिक्षण (प्रति प्रशिक्षण 20 पदाधिकारी x दो दिवसीय)
3.(i)	जिप्सम/पाईराईटस	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रु०/एकड़ दोनो में जो न्यूनतम हो, देय होगा।
(ii)	सल्फर वितरण (any source of sulphur including 90% powder)	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 रु०/एकड़ दोनो में जो न्यूनतम हो, देय होगा।
(iii)	पौधा संरक्षण रसायन/ खरपतवार नाशक	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रु०/एकड़ दोनो में जो न्यूनतम हो, देय होगा।
(iv)	मानव चालित पौधा संरक्षण मशीन	(क) **नैपसेक एवं डस्टर** :– सामान्य श्रेणी के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रु०/यूनिट दोनो में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। अनु० जाति/अनु०जन जाति के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 750रु०/यूनिट दोनो में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। (ख) **रॉकिग टाईप स्प्रेयर (गटोर)** :– सामान्य श्रेणी के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रु०/यूनिट दोनो में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। अनु० जाति/अनु०जन जाति के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2500 रु०/यूनिट दोनो में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।
(v)	पावर ऑपरेटेड पौधा संरक्षण मशीन (पावर स्प्रेयर)	सामान्य श्रेणी के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रु०/यूनिट दोनो में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। अनु० जाति/अनु०जन जाति के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रु०/यूनिट दोनो में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।
(vi)	सिंचाई पाईप (PVC / HDPE)	मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रु० अनुदान 600 मीटर तक के लिए दिया जायेगा। यानि 25 रु० प्रति मीटर अधिकतम अनुदान देय होगा।

सामान्य अनुदेश

इस योजना के अन्तर्गत कुल लक्ष्य का कम से कम **16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति** के कृषकों का चयन किया जाना है।

सीमान्त एवं लघु कृषकों को ही मुख्यतः चयन कर लाभ पहुँचाना है **जिसमें 30 प्रतिशत महिला कृषकों** को भारत सरकार के स्वीकृति आदेश के आलोक में लाभान्वित किया जाना है।

अनुदान वाली योजनाओं एवं उपादान का कार्यान्वयन **"पहले आओ पहले पाओ"** के सिद्धांत पर सम्पादित किया जाना है। पंचायत/प्रखण्डवार लाभुकों की पंजी संधारित किया जाना है। जिसमें प्रथम वरीयता के आधार पर सिंचाई पाईप एवं अन्य उपादान पर अनुदान दिया जायेगा। साथ ही यह ध्यान रखा जाना है कि चयनित कृषक को विगत वर्षो में अनुदान का लाभ नहीं मिला हो। किसान को मिलने वाले अनुदान (सहायता) हेतु आवेदन पत्र–परिशिष्ट–1 पर है।

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एवं ऑयलपाम (एन०एम०ओ०ओ०पी०) मिनी मिशन–I योजना अन्तर्गत क्रमशः बिहार के कुल 38 जिला, राई/सरसों/तोरि, 12 जिला में सूर्यमुखी यथा नालन्दा, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगुसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार तथा 10 जिला में मूँगफली यथा नालन्दा, गया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

मिनी मिशन–I के तहत सभी अनुदान वाले घटकों के लिए कृषकों के चयन में त्रिस्तरीय पंचायत समिति सदस्य की सहभागिता सुनिश्चित करनी है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 का (मिनी मिशन–I) फसलवार/घटकवार/उपघटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 का (मिनी मिशन–I) जिलावार (राज्यांश एवं केन्द्रांश) भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–II संलग्न है।